

4.

खरीददार आर और सबों ने इसका अलग-अलग मूल्यांकन भी किये, परन्तु अन्त में लेख्यधारी ने भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आकर इसका भली-भांति निरीक्षण किए तथा इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए आज के बाजार भाव के अनुसार उचित उचित तथा अधिकतम देय मूल्य निर्धारित किए तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही खरीदना भी स्वीकार किए। बिक्रेता भी इस मूल्यांकन के प्रत्येक बिन्दु को उचित तथा अधिकतम मूल्य देखकर सौदे को क्रेता के साथ पक्का कर लिये।

यह कि देय मूल्य की पूरी रकम मुबलीग 14,81,000/- (चौदह लाख एककासी हजार) रुपये मात्र भारतीय स्टेट बैंक का चेक नं० 180377 से 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र चेक नं० 168568 से 4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र चेक नं० 168569 से 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये मात्र एव चेक नं० 168571 से 5,00,000 (पांच लाख) रुपये मात्र लेख्यधारी ने लेख्यकारी को भुगतान किये हैं तथा शेष राशि 1,000/- (एक हजार) रुपये मात्र नकद भुगतान किये हैं। अब लेख्यकारी को लेख्यधारी से कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है इसलिए यह केवाला आज से ही पूरी तरह से अस्तर में आ गया और उपर बर्णित सम्पति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल-कब्जा क्रेता को दे दिये। इस प्रकार से सम्पति के सम्बन्ध में बिक्रेता का आज तक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थे अथवा भविष्य में इनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्राप्त हुए। अब लेख्यधारी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावें, मकान बनवा कर निवास करें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे अब लेख्यकारी या परिवार के किसी भी अन्य उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य में कभी भी रहेगा। अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस सम्पति के सम्बन्ध

अज्ञेय प्रजापति
21/11/22